कद अहकाम

कैलाश बनाम सरकार

न्यायालय

संख्या 140/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/6/2024	प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया। जिस रिपोर्ट सरिश्ता मुलाहिजा हो चुकी है पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण पीपी/सरकार को नोटिस व जवाब हेतु तहरीर जारी होकर दिनांक 20/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/7/24 को पेश हों।	
	3/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पत्रावली पर रिपोर्ट प्राप्त शामिल + DR सांगानेर से रिपोर्ट [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] 136 [illegible] प्रार्थी की ओर से पेश [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] दाखिल [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय(सांगानेर) जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:32:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 140/2024
निर्णय दिनांक :03.07.2024

1. कैलाश चंद पुत्र श्री सूरजकरण वैरवा उम्र–42 साल जाति–वैरवा निवासी ग्राम ऊती वैरूजी की ढाणी, वगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वनाम

1. राज्य सरकार वाया अन्य तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है तथा प्रार्थी के पिता व उनके भाईयो की संयुक्त आराजी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या नया 1776 पुराना 1082 में वर्णित खसरा नम्वर 3278 रकवा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8641/3233 रकवा 0.0465 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8645/3280 रकवा 02650 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8648/3202 रकवा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8657/3232 रकवा 0.0345 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8666/3201रकवा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8692/3267 रकवा 0.0810हैक्टयर, खसरा नम्वर 8702/3281 रकवा 0.0390 हैक्टयर,कुल खसरे 8 कुल रकवा 1.0260 हैक्टयर एवं खाता संख्यानया 1781 पुराना 1082 में वर्णित खसरा नम्वर 8636/3204रकवा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्वर 8650/3203 रकवा 0.44हैक्टयर, कुल खसरे 2 कुल रकवा 0.6800 हैक्टयर जो वाकेग्राम वगरूकलां पटवार हल्का वगरूकलां ए व वी भू. अ.नि.क्षेवगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त जमावंदी मे प्रार्थी के पिता का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम सूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण राजस्व कर्मचारियो की गलती से गलत दर्ज हो गया है। जवकि प्रार्थी के पिता व उसके दादा का वास्तविक नाम सूरज करण वैरवा पुत्र गंगा राम वैरवा है और इसी प्रकार आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में भी प्रार्थी के पिता व उसके दादा का नाम सूरज करण वैरवा पुत्र गंगा राम वैरवा ही दर्ज है तथा अपने पिता व दादा के नाम की दुरूस्ती के लिये अप्रार्थी के कार्यालय में प्रार्थी अपने पिता व दादा के नाम के उक्त दस्तावेजात के आधार पर अपने राजस्व रिकार्ड जमावंदी मे दुरूस्त करवाने के लिये अर्जी लगाई तो अप्रार्थी ने कहा कि वह रिकार्ड दुरूस्त करने के लिये सक्षम नही है। इसलिये उसे श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र अपने पिता व दादा का नाम का दुरूस्तीकरण सूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण की जगह सूरज करण वैरवा पुत्र गंगा राम वैरवा करवाने के लिये श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तु[illegible] निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया लिपिकिय त्रुटि दुरुस्त कर [illegible] में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम सूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण के स्थान [illegible] सूरज करण वैरवा पुत्र गंगा राम वैरवा दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:32:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय(सांगानेर) जयपुर

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 03.07.2024 को पत्रावली पेश हुई, पटवारी बगरू कंला की ने जरिये ई–मेल रिपोर्ट भेजी गई, रिपोर्ट की फोटो प्रति पत्रावली में शामिल मिसल है। पटवारी हल्का बगरू की ओर से अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि सूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण के स्थान पर सूरजकरण पुत्र गंगाराम जाति बैरवा शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया किप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया लिपिकिय त्रुटि दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता व दादा का नाम सूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण के स्थान पर सूरज करण बैरवा पुत्र गंगा राम बैरवा दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने बहस उपरिथत अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, दौराने पत्रावली अवलोकन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के पिता व दादा का नामसूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण के स्थान पर सूरजकरण पुत्र गंगाराम जाति बैरवा शुद्ध किया जाना उचित है। अतः पटवारी हल्का बगरू की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी के पिता व उनके भाईयो की संयुक्त आराजी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या नया 1776 पुराना 1082 में वर्णित खसरा नम्बर 3278 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8641/3233 रकबा 0.0465 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8645/3280 रकबा 02650 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8648/3202 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8657/3232 रकबा 0.0345 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8666/3201रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8692/3267 रकबा 0.0810हैक्टयर, खसरा नम्बर 8702/3281 रकबा 0.0390 हैक्टयर,कुल खसरे 8 कुल रकबा 1.0260 हैक्टयर एवं खाता संख्यानया 1781 पुराना 1082 में वर्णित खसरा नम्बर 8636/3204रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8650/3203 रकबा 0.44हैक्टयर, कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर जो वाकेग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए व बी भू.अ.नि.क्षेबगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है में प्रार्थी के पिता व दादा का नामसूरजभान पुत्र मोहरिया उर्फ सूरजकरण के स्थान पर शुद्ध नाम सूरज करण बैरवा पुत्र गंगा राम बैरवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:32:09 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर